उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-931 /पांच-8-2016-जी0(62)/2016
लखनऊ : दिनांक 18 अप्रैल, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-168(1)/चि0-3-2012-03(नियुक्ति)/2011, दिनांक 21-02-2011 द्वारा डा0 गिरधर चौहान,चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी, जिसके अनुपालन में डा0 चौहान द्वारा दिनांक 28-02-2012 को मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के कार्यालय में योगदान प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के आदेश दिनांक 02-03-2012 द्वारा डा0 चौहान की तैनाती प्राथ0स्वा0 केन्द्र, परसपुर, गोण्डा में की गयी, जहां चौहान द्वारा दिनांक 02-03-2012 को कार्यभार ग्रहण किया गया तथा दिनांक 28-06-2012 तक राजकीय कार्य सम्पादित किया गया। वर्ष 2012 में डा0 गिरधर चौहान का चयन एम0डी0 फिजियोलाजी में हो जाने के कारण पत्र दिनांक 21-09-2012 को अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अध्ययनरत हो गये। डा0 चौहान द्वारा अध्ययन पूर्ण करने के उपरान्त पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के पत्र दिनांक 31-12-2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 गिरधर चौहान, चिकित्साधिकारी (एम0डी0 फिजियोलाजी) को जिला चिकित्सालय, बलरामपुर में योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। डा0 चौहान की पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 गिरधर चौहान, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 19-05-2016 तक जिला चिकित्सालय, बलरामपुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया
संयुक्त सचिव।

क्रमशः

U.O.M-R

<u>संख्या- 931 (1)/पांच-8-2016-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 गिरधर चौहान, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 19-05-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल गोण्डा।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा।

6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बलरामपुर।

7- कोषाधिकारी, गोण्डा/बलरामपुर।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- प्रभारी/ कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10-गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

U.O.M-R

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 1665/पांच-8-2016-जी0(210)/2015

लखनऊ : दिनांक 18 अप्रैल, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-999/चि0-3-2010-03(नियुक्ति)/2010, दिनांक 15-04-2010 द्वारा डा0 रणजीत सिंह आर्य, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 रणजीत सिंह आर्य तत्समय एम0डी0 फार्माकोलाजी में अध्ययनरत होने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे। अध्ययन पूर्ण करने के उपरान्त डा0 आर्य ने अपने पत्र दिनांक 21-12-2016 द्वारा पुन: कार्यभार ग्रहण कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 15-03-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 रणजीत सिंह आर्य, चिकित्साधिकारी (एम0डी0 फार्माकोलाजी) को मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ के अधीन इस शर्त के साथ योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी सेवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी।

2- डा0 रणजीत सिंह आर्य, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 19-05-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया

संयुक्त सचिव।

क्रमश:

U.O.M-R

संख्या- 1065 (1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 रणजीत सिंह आर्य, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 19-05-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर/मेरठ।

6- कोषाधिकारी, बुलन्दशहर/मेरठ।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी/ कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

U.O.M-R